<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 459/2011

संस्थापन दिनांक 28.06.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

<u>बनाम</u>

1—तेजपालसिंह पुत्र ज्ञानसिंह सिकरवार उम्र 20 साल निवासी स्टेट बैंक के पीछे टावर के पास मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

2—सुनीलसिंह पुत्र इन्द्रपालसिंह जादौन उम्र 24 साल निवासी 72बी तानसेन नगर थाना हजीरा जिला ग्वालियर हाल सक्षम फैक्ट्री मालनपुर जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- 1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 338 भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 287 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.06.11 को प्रातः 4:45 बजे सक्षम फैक्ट्री मालनपुर पर पानी की बोतल की मशीन को उपेक्षापूर्वक आहत विनोद अ0सा03 से चलवाकर उसका मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 13.06.11 को शाम 8 बजे फरियादी रामप्रकाश अ0सा01 का लड़का विनोद अ0सा03 घर के बाहर बैठा था उसी समय सक्षम फैक्ट्री मालनपुर का ठेकेदार आरोपी तेजपालसिंह सिकरवार एवं सुपरवाईजर आरोपी सुनीलसिंह जादौन आये तथा फैक्ट्री में पानी के पाउच भरवाने के लिए मजदूरी करने के लिए विनोद अ0सा03 से कहा तो वह चला गया तथा दिनांक 14.06.11 को जब उसका लड़का विनोद अ0सा03 घर वापिस आया तो उसके दोनों हाथों की छिंगुली वाली अंगुली के बगल वाली अंगुली

में पट्टी बंधी थी तथा खून निकला था जब उसने पूछा कि क्या हुआ तो विनोद अ०सा०३ ने बताया कि वह फैक्ट्री के अंदर पानी के पाउच भर रहा था तब देकेदार तेजपाल व सुपरवाईजर सुनील सुबह पौने पांच बजे उससे बोले कि तू पानी की बोतल मशीन पर बना तो उसने कहा कि वह मशीन चलाना नहीं जानता है तब दोनों ने जबरदस्ती उसे मशीन पर बिठा दिया उसने मशीन चलाई तो उसके दोनों हाथ की छिंगुली के बगल वाली अंगुली के उपर का हिस्सा पिचल गया तथा मांस निकलकर खून निकल आया फिर दोनों लोग उसे प्राइवेट डॉक्टर के यहां इलाज कराने मालनपुर ले गये तथा पट्टी कराई तब उसे छोड़ा। फिर रामप्रकाश अ०सा०१ अपने लड़के विनोद अ०सा०३ को लेकर फैक्ट्री पर गया तथा आरोपीगण से विनोद अ०सा०३ के इलाज के लिए कहा परन्तु आरोपीगण ने नहीं सुना। तत्पश्चात फरियादी रामप्रकाश अ०सा०१ की रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अप०क० 95/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्याालय के समक्ष पेश किया गया।

. अारोपीगण ने अपराध विवरण की विशिष्टियों अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

4.

प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :— 1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 14.06.11 को प्रातः 4:45 बजे सक्षम फैक्ट्री मालनपुर पर पानी की बोतल की मशीन को उपेक्षापूर्वक आहत विनोद अ0सा03 से चलवाकर उसका मानव जीवन संकटापन्न किया ?

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ पर सकारण निष्कर्ष //

फरियादी रामप्रकाश अ०सा०1 ने कथन किया है कि 5-6 साल पूर्व रात्रि 12 बजे की घटना है वह पानी के पाउच की फैक्ट्री में कार्य करता था जिसका सुपरवाईजर आरोपी सुनील था और ठेकेदार आरोपी तेजपाल था। सुनील ने विनोद से पानी की बोतल भरने को कहा जिससे विनोद की अंगुली में लग गयी। घटना के समय वह घर पर था विनोद ने उसे घर आकर घटना की खबर दी थी। विनाद की अंगुली से खुन टपक रहा था। उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस उसे ध ाटनास्थल फैक्ट्री लेकर नहीं गयी। नक्शामीका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 13.06.11 को आरोपीगण तेजपाल और सुनील उसके घर आये थे और उससे कहा था कि विनोद को मजदूरी के लिए भेज दो। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विनोद ने उसे बताया था कि विनोद ने आरोपीगण से कहा कि वह बोतल भरना नहीं जानता फिर भी आरोपीगण ने उससे बोतल भरवाई और इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय चन्द्रमोहन व जगदेव व अन्य व्यक्ति उपस्थित थे और घटना आरोपी तेजपाल की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर नहीं गया और नक्शामौका प्र0पी–2 के कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर कराये थे उसके सामने ध ाटना भी नहीं हुई और यह भी स्वीकार किया है कि ठेकेदार ने काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं की थी और जब विनाद को लगी थी तब उसने नहीं देखा था और

विनोद को स्वयं की लापरवाही से चोट आई हो तो वह नहीं कह सकता।

6. आहत विनोद अ०सा०३ ने कथन किया है कि 4-5 वर्ष पूर्व वह सक्षम फैक्ट्री में पानी के पाउच बनाता था जब वह फैक्ट्री में पैसे का हिसाब करने गया था तब फैक्ट्री में मशीन चल रही थी और मशीन में हाथ आने से उसे चोट आ गयी थी। वहां मजदूरों के अलावा कोई नहीं था। जो उसे अस्पताल ले गये थे। उसे अंगुली में चोट आई थी और उसके पिताजी ने रिपोर्ट कर दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि फैक्टी के ठेकेदार तेजपाल और सुपरवाईजर सुनील ने जबरदस्ती पानी की मशीन चलाने को कहा था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसे बिना सुरक्षा उपकरणों के मशीन पर बिठा दिया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

साक्षी डाँ० आलोक शर्मा अ०सा०२ ने कथन किया है कि दिनांक 14.06.11 को सिविल अस्पताल गोहद में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए विनोद अ०सा०३ का चिकित्सीय परीक्षण करने पर दांये हाथ की तर्जनी अंगुली पर उपरी भाग पर कुचली हुई चोट और बांये हाथ की तर्जनी अंगुली पर उपरी भाग पर कुचली हुई चोट पाई थी जो उसके मतानुसार कड़े व भौंथरी वस्तु से 24 घण्टे के भीतर आना संभव थी जिसकी रिपोर्ट प्र०पी—3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 15.06.11 को विनोद अ०सा०३ का एक्सरे परीक्षण करने पर बांये हाथ की तर्जनी अंगुली पर हड्डी कुचली हुई थी एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। हड्डी कुचलने से फैक्चर हो गया था।

8. अतः स्वयं आहत विनोद अ०सा०१ ने स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे उपेक्षापूर्वक पानी की बोतल की मशीन परिचालित करने के लिए कहा था अपितु दुर्घटना जब वह हिसाब करने गया था तब मशीन में हाथ आने के कारण होना बताया है। फरियादी रामप्रकाश अ०सा०१ ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होने से इंकार किया है और विनोद की अनुश्रुत साक्ष्य प्रस्तुत की है परन्तु स्वयं विनोद ने अभियोजित घटना आरोपीगण के उपेक्षापूर्वक कृत्य के कारण घटित होने से इंकार किया है। विनोद अ०सा०३ महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष व आहत साक्षी है जिसके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 14.06.11 को प्रातः 4:45 बजे सक्षम फैक्ट्री मालनपुर पर पानी की बोतल की मशीन को उपेक्षापूर्वक आहत विनोद अ०सा०३ से चलवाकर उसका मानव जीवन संकटापन्न किया।

- 9. परिणामतः आरोपीगण को धारा 287 भ.द.स. के आरोप से दोषमुक्त ६ ोषित किया जाता है।
- 10. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0